राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1306/2025

लक्ष्मी कांत शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक : 19.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी की ओर से संशोधित अपील प्रस्तुत की गई है एवं संशोधित अपील रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना की गई। प्रार्थना स्वीकार कर संशोधित अपील संशोधित अपील रिकॉर्ड पर ली जाती है।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर नगर परिषद, सवाईमाधोपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण नगर परिषद, गंगापुरसिटी में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का नाम लक्ष्मी कांत शर्मा है, जबकि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का नाम लक्ष्मी कुमार शर्मा अंकित करते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो गलत है। अपीलार्थी के स्थानांतरण में प्रत्यर्थी विभाग ने विवेक का प्रयोग नहीं किया है। अतः अपीलार्थी के आलोच्य स्थानान्तरण आदेश को स्थगित रखा जाए।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान आलोच्य आदेश में सही अंकित किया गया है। केवलमात्र अपीलार्थी का नाम लक्ष्मी कांत शर्मा की जगह लक्ष्मी कुमार शर्मा अंकित किये जाने के आधार पर स्थानांतरण आदेश को त्रुटिपूर्ण होना नहीं माना जा सकता है। ऐसे में केवलमात्र लिपिकीय त्रुटि के कारण स्थानांतरण आदेश को निरस्त किया जाना उचित नहीं है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष